राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11706/2023

सतीश कुमार डुहारिया पुत्र स्वर्गीय श्री मूलचंद, निवासी नवी बक्स का बाग, राजगढ़ (अलवर)-301408

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से

2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय स्वशासन, जी-3, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, सिविल लाइंस रेलवे लेवल क्रॉसिंग के पास, सी-स्कीम, जयपुर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए	:	श्री आर.के.अग्रवाल , वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जतिन अग्रवाल द्वारा सहायता प्राप्त
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री यशोधर पांडे, श्री अनिल मेहता, अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से अधिवक्ता श्री नितिन जैन और श्री जगमीत सिंह, हस्तक्षेपकर्ताओं के वकील ।

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आरक्षित तिथि	:	17/01/2024
घोषित तिथि	:	23/01/2024

आदेश

प्रकाशनीय

(28/05/2025 को शाम 05:15:37 बजे डाउनलोड किया गया)

1. इस याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा पारित निलंबन आदेश दिनांक 24.07.2023 की विधिमान्यता और वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को नगरपालिका बोर्ड, राजगढ़ के अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया गया है ।

प्रतिद्वन्द्वी वाद:

2. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता नगरपालिका बोर्ड, राजगढ़ (अलवर) का निर्वाचित अध्यक्ष है और उन्हें 25.04.2022 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था और उन्होंने एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 6771/2022 दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी थी और इस न्यायालय ने 17.01.2023 के आदेश द्वारा इसे स्वीकार कर लिया था और 25.04.2022 के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया था। वकील ने दलील दी कि उन्हीं आरोपों के आधार पर, याचिकाकर्ता को 24.07.2023 के आदेश द्वारा पुनः निलंबित कर दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अतिक्रमण हटाने के अभियान में उनके द्वारा कुछ भेदभाव किया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि 17.09.2021 को एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा सदस्य (संक्षेप में "विधायक") के साथ-साथ उपमंडल अधिकारी, राजगढ़ (अलवर) (संक्षेप में "एसडीओ") और कार्यकारी अधिकारी (संक्षेप में "ईओ") सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनकी उपस्थिति में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि इसके परिणामस्वरूप, अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया और अतिक्रमण हटा दिए गए। वकील ने प्रस्तुत किया कि अब याचिकाकर्ता के साथ-साथ एसडीओ और ईओ सहित अन्य पदाधिकारियों को आरोप पत्र दिया गया है और उन सभी को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। वकील ने

(28/05/2025 को शाम 05:15:37 बजे डाउनलोड किया गया)

प्रस्तुत किया कि आज तक, न तो उपरोक्त दोनों अधिकारियों के खिलाफ और न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पूरी हुई है, हालाँकि उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है लेकिन याचिकाकर्ता का निलंबन अभी भी जारी है जांच पूरी होने तक निलंबन रद्द किया जाए। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा कमली बनाम राजस्थान राज्य मामले में पारित निर्णय, **2023 (1)** डी.एन.जे. **299** में रिपोर्ट किए गए, का हवाला दिया है। वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता एक जनप्रतिनिधि है और उसे राजनीतिक कारणों से आकस्मिक रूप से निलंबित कर दिया गया है, इसलिए इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

3. इसके विपरीत, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान वकील और हस्तक्षेपकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि संस्था यानी नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते याचिकाकर्ता ने अवैध और मनमाने तरीके से काम किया है और संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना कुछ अतिक्रमणों को हटाने का निर्णय लिया है। वकील ने कहा कि कुछ लोगों के पास वैध पट्टे और उनके पक्ष में अदालत के आदेश थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करते हुए और ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना और उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए बिना, उनके खिलाफ उन्हें हटाने की अवैध कार्रवाई की गई। वकील ने कहा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (संक्षेप में, 2009 का अधिनियम) की धारा 55 के अनुसार याचिकाकर्ता को इस संबंध में एक समिति का गठन करना था, लेकिन ऐसा किए बिना, उनके द्वारा अवैध और मनमानी कार्रवाई की गई। वकील ने दलील दी कि 2009 के अधिनियम की धारा 39 के तहत विधिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद, याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है और अब उसके खिलाफ न्यायिक जांच लंबित है। वकील ने दलील दी कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने देवेंद्र सिंह शेखावत बनाम राजस्थान

(28/05/2025 को शाम 05:15:37 बजे डाउनलोड किया गया)

राज्य एवं अन्य एसबी सिविल रिट याचिका संख्या **14381/2023** में मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हवाला दिया है।

4. राज्य प्रतिवादियों के वकील ने आगे दलील दी कि 2009 के अधिनियम की धारा 48 के तहत, अध्यक्ष के कर्तव्य और कार्य परिभाषित हैं और ऐसे लोगों को हटाते समय, जो अपनी ज़मीन पर वैध रूप से काबिज़ थे, उन्होंने मनमाने ढंग से काम किया है, वह भी राज्य सरकार से अपनी कार्रवाई के लिए कोई अनुमति लिए बिना। वकील ने दलील दी कि उपरोक्त दलीलों के मद्देनजर, यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

विश्लेषण और तर्क:

5. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. नगरपालिका बोर्ड, राजगढ़ द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2021 को एक साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई और उपखंड अधिकारी उक्त बैठक में उपाध्यक्ष थे। बैठक में कुल 46 विभिन्न व्यक्तियों ने भाग लिया। बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते याचिकाकर्ता भी बैठक का हिस्सा थे और गौरव पथ सहित कुछ क्षेत्रों से अनधिकृत अवैध निर्माणों को हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके परिणामस्वरूप, ईओ ने अतिक्रमणकारियों को उनके अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए, जो रास्ते और सड़क पर बाधा उत्पन्न कर रहे थे और तदनुसार, एक अतिक्रमण अभियान शुरू किया गया और कुछ अनधिकृत निर्माणों को हटा दिया गया।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यक्तियों ने स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक (क्षेत्रीय) को बोर्ड की उपरोक्त कार्रवाई के विरुद्ध शिकायत की थी और याचिकाकर्ता से 25.04.2022 को स्पष्टीकरण मांगा गया था। याचिकाकर्ता और बोर्ड के

(28/05/2025 को शाम 05:15:37 बजे डाउनलोड किया गया)

कार्यकारी अधिकारी ने 25.04.2022 को स्पष्टीकरण का विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया और बोर्ड की कार्रवाई को उचित ठहराया। उसी दिन अर्थात 25.04.2022 को याचिकाकर्ता को 2009 के अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया।

8. एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 6771/2022 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इसे 17.01.2023 को निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ अनुमति दी गई।

> "याचिकाकर्ता द्वारा दायर यह रिट याचिका निम्नलिखित कारणों से स्वीकार किए जाने योग्य है; पहला, जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है, निलंबन आदेश पारित करने से पहले, उसी दिन नोटिस दिया गया था, उसी दिन उत्तर प्राप्त हुआ था और उसी दिन निलंबन का आदेश पारित किया गया है और तीन घंटे की अवधि के दौरान, प्रतिवादियों द्वारा कार्यवाही पूरी कर ली गई है और निलंबन का आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया है; दूसरा, मेरे विचार से, निलंबन आदेश पारित करते समय प्रतिवादियों द्वारा पूरी तरह से दिमाग का प्रयोग न करने का मामला है।
>
> इस मामले को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों द्वारा पारित दिनांक 25.04.2022 के आदेश को विवेक का प्रयोग न करने के आधार पर रद्द और निरस्त किया जाता है। हालाँकि, प्रतिवादी चाहें तो कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

9. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2023 के आदेश पारित करने के बाद, प्रतिवादियों ने 04.07.2023 को याचिकाकर्ता को फिर से नोटिस-सह- आरोप पत्र जारी किया और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए गए और 2009 के अधिनियम की धारा 39(6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता को दिनांक 24.07.2023 के आदेश के तहत फिर से निलंबित कर दिया गया।

(28/05/2025 को शाम 05:15:37 बजे डाउनलोड किया गया)

10. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि समान आरोपों के लिए अर्थात अतिक्रमण हटाते समय अभियान में लापरवाही बरती गई जिससे आम जनता को असुविधा और नुकसान हुआ, एसडीओ के साथ-साथ नगरपालिका बोर्ड, राजगढ़ के ईओ अर्थात केशव कुमार मीणा और बनवारी लाल मीणा को क्रमशः आरोप पत्र दिया गया था । तदनुसार, उन्हें उसी दिन अर्थात 25.04.2022 को निलंबित भी कर दिया गया और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए समान आरोपों के लिए उनके खिलाफ जांच कार्यवाही भी शुरू की गई। लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद आज तक उनमें से किसी के खिलाफ भी जांच कार्यवाही पूरी नहीं हुई है। बाद में, दोनों सरकारी अधिकारियों अर्थात एसडीओ और ईओ के निलंबन आदेश को क्रमशः 31.08.2022 और 19.09.2022 को निरस्त कर दिया गया और उन्हें उनके कार्य स्थान पर तैनात कर दिया गया। लेकिन याचिकाकर्ता का आक्षेपित निलंबन आदेश आज तक जारी है। न तो जांच पूरी हुई है और न ही उनका निलंबन आदेश रद्द किया गया है।

11. राज्य के वकील से यह स्पष्ट करने को कहा गया कि एसडीओ और ईओ का निलंबन आदेश क्यों रद्द किया गया और याचिकाकर्ता का निलंबन आदेश क्यों बरकरार रखा गया। राज्य के वकील ने दलील दी कि एसडीओ और ईओ दोनों सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए उनके खिलाफ जांच लंबित रहने के बावजूद उनके निलंबन आदेश रद्द कर दिए गए, जबकि याचिकाकर्ता एक निर्वाचित अध्यक्ष हैं, इसलिए उनका निलंबन आदेश रद्द नहीं किया गया क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच लंबित है। जब एसडीओ, ईओ और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप एक जैसे और समान थे और उनके निलंबन का कारण भी एक ही था, तो एसडीओ और ईओ के निलंबन आदेश कैसे वापस ले लिए गए और उन्हें अपने-अपने तैनाती स्थलों पर काम जारी रखने के लिए सेवा में वापस कैसे ले लिया गया, जबकि याचिकाकर्ता का निलंबन आदेश रद्द नहीं किया गया क्योंकि उनके खिलाफ न्यायिक जांच लंबित है। राज्य का ऐसा कृत्य दो

(28/05/2025 को शाम 05:15:37 बजे डाउनलोड किया गया)

समान व्यक्तियों के बीच भेदभाव के समान है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि समानों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। समानों को असमान मानना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

12. यह सिद्धांत कि दो समान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, न्याय और निष्पक्षता का एक मूलभूत सिद्धांत है जिसे दुनिया भर की कानूनी प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। कई देशों ने इस सिद्धांत को अपने कानूनी ढाँचों में, या तो विशिष्ट कानूनों के माध्यम से या संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से, प्रतिष्ठित किया है। उदाहरण के लिए, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों के लिए एक आधारभूत दस्तावेज़ के रूप में मान्यता प्राप्त है, अनुच्छेद 7 में कहती है कि "कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं"। इसी प्रकार, कई देशों में भेदभाव-विरोधी कानून हैं जो नस्ल, लिंग, धर्म या अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। ये कानून यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत विशेषताएँ कुछ भी हों।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार एक प्राधिकरण है और कानून के अनुसार कार्य करने का विवेकाधिकार उसके पास है, लेकिन सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग मनमाना, अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। कई देशों में, सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ताकि वे सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी प्रशासन के लिए आवश्यक निर्णय ले सकें। हालाँकि, इन शक्तियों का प्रयोग सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ कानूनी और संवैधानिक सीमाओं के अधीन होना चाहिए। मनमानी न

(28/05/2025 को शाम 05:15:37 बजे डाउनलोड किया गया)

करने के सिद्धांत के अनुसार, सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय सद्भावना और कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ है कि उनके निर्णयों का एक तर्कसंगत आधार होना चाहिए और उन्हें स्वेच्छाचारी, मनमौजी या भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। विवेकाधीन शक्ति का कोई भी प्रयोग व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, पूर्वाग्रहों या पूर्वाग्रहों के बजाय प्रासंगिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होना चाहिए।

14. महान दार्शनिक और विद्वान अरस्तू के अनुसार, "समानों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए"। न्याय का यह सबसे बुनियादी सिद्धांत है जिसे दो हज़ार साल से भी पहले अरस्तू द्वारा परिभाषित किए जाने के बाद से दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि "व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जब तक कि वे उस स्थिति के लिए प्रासंगिक तरीकों से भिन्न न हों जिसमें वे शामिल हैं।"

15. तीनों व्यक्तियों यानी एसडीओ, ईओ और याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उनके खिलाफ समान आरोप लगाए गए हैं और समान आरोपों के लिए उन सभी को एक ही दिन यानी 25.04.2022 को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में एसडीओ और ईओ के निलंबन आदेश वापस ले लिए गए और उन्हें सेवा में वापस ले लिया गया और आज तक उन्हें अपने-अपने पोस्टिंग स्थानों पर काम करने की अनुमति है। लेकिन उन सभी के खिलाफ जांच लंबित है और अकेले याचिकाकर्ता का निलंबन आदेश अभी भी जारी है। इसलिए, इन परिस्थितियों में प्रतिवादियों की ऐसी कार्रवाई काफी मनमानी और भेदभावपूर्ण है और यह कानून की नजर में कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को सरकारी अधिकारियों यानी एसडीओ और ईओ के साथ शत्रुतापूर्ण

(28/05/2025 को शाम 05:15:37 बजे डाउनलोड किया गया)

भेदभाव का सामना करना पड़ा है। प्रतिवादियों की ऐसी कार्रवाई दर्शाती है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है।

16. देवेंद्र सिंह शेखावत **(सुप्रा)** के मामले में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पारित निर्णय, जिस पर भरोसा किया गया है, वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा 2009 के अधिनियम की धारा 39 के तहत निहित प्रावधान के अनुपालन या गैर-अनुपालन के संबंध में ऐसी कोई दलील या तर्क नहीं उठाया गया है।

निष्कर्ष**:**

17. उपर्युक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे स्वीकार किया जाता है। दिनांक 24.07.2023 का आक्षेपित आदेश निरस्त एवं अपास्त किया जाता है। इसके परिणाम आगे आएंगे।

18. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध लंबित जांच को, जिन्हें आरोप-पत्र दिया गया है, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा करें तथा इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएं।

19. स्थगन आवेदन और अन्य सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा हो जाता है।

20. पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने की स्वतंत्रता होगी।

(अनूप कुमार ढांड),जे

सोलंकी डी.एस., पी.एस.

अस्वीकरण**:** इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है**,** एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह

(28/05/2025 को शाम 05:15:37 बजे डाउनलोड किया गया)

किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(28/05/2025 को शाम 05:15:37 बजे डाउनलोड किया गया)